12/4/18

श्रीमान विपक्षी वकील श्री ने प्रार्थना पत्र अधीन आदेश 6 नियम 17 सी प्रस्तुत किया है जिस का स्थान किया कि मूल वाद का निर्णय हो चुका है अतः यह अर्जी निरर्थक हो चुकी है जिसका वकील अधोहस्ताक्षरकर्ता ने मूल वाद का निर्णय हो चुका है ऐसी स्थिति में चाहा गया प्रार्थना पत्र पर वकील आदेश के विरुद्ध यह अर्जी स्वतः ही निरर्थक होने के इसी हेतु पर खारिज की जाने की निवेदन पत्रावली पत्रा के का कार्य अधिवक्ता ने जमा है।

राजकीय सहायक अभियोजक
श्रीगंगानगर (राज.)